मार्गनिर्देशिका

मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु
मार्गनिर्देशिका

1. उद्देश्य:- यह योजना वर्ष 2008-09 से स्वीकृत है परन्तु इसके कार्यान्वयन में आई कठिनाईयों को देखते हुए इसके सफल कार्यान्वयन हेतु एक मार्गदर्शिका तैयार किया गया है, जिसे ''मार्ग निर्देशिका-2012'' के नाम से ज़ाना जाएगा। इस योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के आयु की महिला एवं पुरूषों को रोजगार पाने हेतु प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना अथवा बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम, पटना के माध्यम से ''मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना'' के अन्तर्गत ऋण दिलाकर स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण अवधि 2 वर्ष तक की होगी।

2. योजना की मुख्य विशेषताएँ:-

2.1 अल्पसंख्यक समुदाय की महिला एवं पुरूषों को प्रशिक्षण दिलाकर उन्हें स्वरोजगार एवं नियोजन का अवसर प्रदान करना।

2.2 प्रशिक्षण के उपरान्त स्वरोजगार के लिए साधारण ब्याज दर पर आसानी से ऋण उपलब्ध कराना।

2.3 प्रशिक्षण एवं वित्त पोषण की योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा किया जाएगा।

3. प्रशिक्षण के लिए चयनित व्यवसायिक पाठ्यक्रम:-

3.1 वैसे व्यवसायिक पाठ्यक्रम जो किसी सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थान जैसे NIOS/SIOS/AICTE/राज्य सरकार/ विश्वविद्यालय के द्वारा संचालित हो या उनसे मान्यता प्राप्त हो एवं उनके व्यवसायिक क्षेत्रों में नियोजन की स्थानीय मांग या व्यवसाय चलाने की संभावनाएँ हों।

4. प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूप रेखा:-

4.1 प्रशिक्षण जिला मुख्यालय में चयनित संस्था के माध्यम से उनके द्वारा चयनित/निर्धारित स्थल पर संचालित किया जायेगा।

4.2 संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षणार्थियों को पाठ्य सामग्री एवं टूल-किट नि:शुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

4.3 प्रशिक्षणार्थियों को रहने एवं खाने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। परन्तु राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था जिनमे पूर्व से आवासीय व्यवस्था उपलब्ध है, ऐसे संस्था के प्रशिक्षणार्थियों के भोजन एवं अवासन के लिए उन संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान इस योजना की निधि से अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के द्वारा सीधे संस्थान को उपलब्ध कराया जायेगा।

4.4 यदि प्रशिक्षण स्थल पर आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है तो वैसी स्थिति में प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को 1500/- रूपये प्रतिमाह की दर से वज़ीफ़ा का भुगतान प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जायेगा।

4.5 सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरान्त चयनित संस्था के द्वारा प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. प्रशिक्षुओं का चयन

5.1 अल्पसंख्यक समुदाय के वैसे महिला एवं पुरूष जो 15 से 45 वर्ष के हों तथा जिनकी वार्षिक आय 4.50 लाख रूपये से अधिक न हो, का चयन प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।

5.2 विभिन्न प्रशिक्षा कार्यक्रमों के लिए न्यूनतम योग्यता एवं उम्र का निर्धारण सम्बन्धित पाठ्यक्रम को ध्यान में रख कर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा।

5.3 प्रशिक्षुओं का चयन विज्ञापन निकाल कर शैक्षणिक योग्यता, आय एवं आयु के आधार पर जिला स्तरीय कमिटि द्वारा किया जायेगा।

5.4 जिला स्तरीय समिति आवेदकों के आय के आधार पर मेधा सूची तैयार करेगी, जिसके आधार पर प्रशिक्षुओं का चयन किया जायेगा।

5.5 योजना में प्रशिक्षाणार्थी के रूप में महिलाओं के लिए निर्धारित 30 प्रतिशत एवं नि:शक्तों के लिए निर्धारित 3 प्रतिशत स्थान प्राथमिकता के तौर पर भरने का प्रयास किया जायेगा। इसके बावजूद इनकी अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य अल्पसंख्यक कोटि के प्रशिक्षाणार्थियों को चयन किया जायेगा।

6. क्रियान्वयन की प्रक्रिया:-

6.1 योजना से लाभान्वित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित किया जाएगा।

6.2 आवेदन पत्र समबन्धित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी या जिला कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किए जाऐंगे।

6.3 आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाऐंगी।

1. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (जहाँ आवश्यकता है)
2. फोटो पहचान पत्र/UID/आवासीय प्रमाण पत्र
3. पासपोर्ट आकार के 4 फोटो
4. आय प्रमाण पत्र

6.4 प्रशिक्षुओं का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे।

1.	उप विकास आयुक्त	अध्यक्ष
2.	जिला उद्योग केन्द्र के प्रतिनिधि	सदस्य
3.	प्रशिक्षण देने वाली संस्था के एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	प्रबन्ध निदेशक, अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी	सदस्य
5.	जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला	

परन्तु जिन सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों में चयन की अलग प्रक्रिया निर्धारित है, उनमें आयोजित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए चयन हेतु उसी निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, इस शर्त के साथ कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी भी इस चयन प्रक्रिया में सम्मिलित रहेंगे।

6.5 जिला स्तरीय समिति द्वारा चयन किये गये प्रशिक्षुओं की सूची की एक प्रति बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि. पटना एवं एक सूची सम्बन्धित प्रशिक्षण संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

7. **प्रशिक्षण शुल्क**

7.1 सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों के मामलों में वही प्रशिक्षण शुल्क संस्थान को निगम से देय होगा जो ऐसे संस्थानों के द्वारा निर्धारित है।

7.2 गैर सरकारी संस्थान/ट्रस्ट/कम्पनी के मामले में Competitive bid के आधार पर प्रशिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाएगा।

8. **प्रशिक्षण संस्था के चयन के लिए पात्रता की शर्तें:-**

कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था, सोसाइटी, ट्रस्ट, कम्पनी, जो निम्नांकित योग्यता रखती हो, को प्रशिक्षण एजेन्सी के रूप में चयन किया जा सकेगा:-

8.1 केन्द्र/राज्य सरकार की संस्था/ग्रामीण विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण (Rural Development Self implementation Training Institute /विश्वविद्यालय/ प्राद्यौगिकी प्रशिक्षण संस्था इत्यादि।

8.2 गैर सरकारी संस्था ट्रस्ट, कम्पनी, जो किसी सरकारी संस्थान/विश्वविद्यालय SIOS/NIOS/NCVT/AICTE से सम्बद्धता/ मान्यता प्राप्त हो, जिनका पिछले 3 वर्षों के शिक्षण/प्रशिक्षण में कम से कम 10.00 लाख रूपये प्रति वर्ष का टर्न ओभर रहा हो।

8.3 गैर सरकारी संस्था/सोसाइटी/ट्रस्ट/कम्पनी का प्रशिक्षण ऐजेन्सी के रूप में चयन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा विहित प्रक्रिया से किया

जाएगा। सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों को प्रशिक्षण ऐजेन्सी के रूप में चयन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जायेगा।

9. **प्रशिक्षण एजेन्सियों की जिम्मेदारियाँ:-**

9.1 प्रशिक्षण एजेन्सियों को प्रशिक्षण देने के लिए वे सभी सुविधाऐं उपलब्ध करानी होंगी, जो प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हो।

9.2 मोनिटरिंग/मूल्यांकन एजेन्सी एवं विभागीय तथा जिला के अधिकारी के साथ पूर्ण सहयोग करना होगा। प्रशिक्षणार्थियों का मूल्यांकन प्रतिवेदन बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराना होगा।

9.3 प्रशिक्षण स्वीकृत पाठ्यक्रम के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. **निरीक्षण:-**

10.1 निरीक्षण जिला कल्याण पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के अतिरिक्त किसी भी ख्याति प्राप्त गैर सरकारी संस्था/विश्वविद्यालय/संस्थान/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा चयनित मोनिटर द्वारा कराया जा सकेगा।

10.2 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/बिहार स्टेट माईनोरिटीज फाईनेन्सियल कॉरपोरेशन लि./जिला पदाधिकारी उनके द्वारा नामित पदाधिकारी या NIOS/SIOS के अपने पदाधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण करा सकेगा।

11. **निरीक्षण संस्था का कार्य एवं दायित्व**

11.1 निरीक्षण संस्था द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र में कम से कम 2 बार निरीक्षण कराया जायेगा एवं विहित प्रपत्र में विभाग एवं निगम को प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

11.2 प्रथम निरीक्षण प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के एक पक्ष के अन्दर किया जायेगा।

1. दूसरा निरीक्षण सत्र अवधि के मध्य में किया जायेगा।
2. तीसरा निरीक्षण सत्र समाप्ति के बाद किया जायेगा।

3. प्रति निरीक्षण की हार्ड एवं सौफ्ट कॉपी निरीक्षण के एक सप्ताह के अन्दर बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को उपलब्ध कराया जायेगा।

11.3 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किसी भी संस्था के प्रशिक्षण सत्र के बीच में उपरोक्त तीनों निरीक्षण के अतिरिक्त भी निरीक्षण कराया जा सकता है।

11.4 निरीक्षण एवं अनुश्रवण तथा निगम के स्तर पर प्रशासनिक व्यय के वहन हेतु योजना की 6 प्रतिशत तक की राशि का व्यय किया जा सकेगा।

11.5 निरीक्षण हेतु वाह्य ऐजेन्सी/मोनीटर के शुल्क/मानदेय का निर्धारण अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

12. बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के कर्तव्य एवं दायित्व:-

12.1 बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम प्रशिक्षण एजेंसी एवं निरीक्षण एजेंसी का चयन करेगी तथा उनके कार्यों के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करेगी।

12.2 प्रशिक्षण संस्था एवं निरीक्षण एजेंसी का चयन विज्ञापन के आधार पर विहित प्रक्रिया अपना कर करेगा तथा उस पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्वीकृति प्राप्त करेगा।

12.3 विभाग से स्वीकृति प्राप्त संस्था के साथ MOU करेगा एवं कार्य आदेश निर्गत करेगा।

12.4 प्रशिक्षण के सम्बन्ध में सभी सूचना एकत्र कर डाटा-बैंक तैयार करेगा।

12.5 सभी प्रशिक्षण संस्था एवं निरीक्षण एजेंसी को समय-समय उन्हें अनुमान्य निधि उपलब्ध करायेगा।

12.6 निरीक्षण एजेंसी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई करेगा।

12.7 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को समय-समय पर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा।

12.8 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मांगी गई सूचनाएँ एवं प्रतिवेदन उपलब्ध करायेगा।

12.9 प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों को आवश्यकता अनुसार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार योजना अथवा टर्म लोन योजना के अन्तर्गत स्व: रोजगार हेतु ऋण उपलब्ध करायेगा।

13. वित्तीय संरचना:-

13.1 गैर सरकारी संस्थान/सोसायटी/ट्रस्ट/कम्पनी के प्रशिक्षण एजेंसी के रूप में चयन के उपरान्त उन्हें उनके द्वारा उद्धर्त कोर्स फीस की राशि की 20% राशि का बैंक गारंटी/Pledged पोस्ट ऑफिस सावधि जमा/ Pledged एन.एस. के रूप में जमा करना होगा। बैंक गारंटी/Pledged बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम के पक्ष में किया जायेगा।

13.2 उपर्युक्त बैंक गारंटी/Pledged पोस्ट ऑफिस पास बुक/Pledged NSC जमा करने के पश्चात् प्रशिक्षण एजेंसी के साथ बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एक MOU हस्ताक्षरित करेगा। MOU के पश्चात् प्रशिक्षण ऐजेन्सी के रूप में चयनित गैर सरकारी संस्थान को Mobilisation शुल्क के रूप में उद्धर्त कोर्स फीस की राशि की 20% राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम द्वारा विमुक्त की जाऐगी।

13.3 निरीक्षण ऐजेन्सी का द्वितीय प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद कोर्स फीस के रूप में उद्धर्त राशि का 50% तथा शेष 30% सत्र समाप्ति के पश्चात् तथा निरीक्षण ऐजेन्सी के अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विमुक्त किया जाऐगा।

13.4 सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थान को बैंक गारंटी/अन्य गारंटी की वाध्यता नहीं होगी और उनके द्वारा MOU करने पर कोर्स फीस की पूर्ण राशि अग्रिम के रूप में विमुक्त कर दी जाएगी।

13.5 योजना की कुल राशि की 6% राशि बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम को अनुश्रवण एवं प्रशासनिक व्यय के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।

●●●